भाग ।।।

( संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

# प्रस्ताव पर वन संरक्षक की अनुशंसा

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलंग्न करें | 14 | नहीं |
| 15 | क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है। | 15 | सहमत है। |
| 16 | प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें | 16 | वनमण्डलाधिकारी सा0 वनमंडल विदिशा द्वारा भाग II में की गई अनुशंसा के आधार पर, जिला विदिशा अंतर्गत विकासखंड बासौदा के ग्राम कोहना में जल मिशन योजना अंतर्गत पेय जल प्रदाय हेतु मार्ग के किनारे किनारे **(ROW)** पाईप लाईन बिछाने हेतु वनमंडल विदिशा के परिक्षेत्र बासौदा की 0.020 हेक्टर वनभूमि, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग विदिशा को उपयोग पर देने के लिये, व्यपवर्तन बावत् अनुशंसा की जाती हैं। |

**तिथि :— 10. 1. 2022**

स्थानः भोपाल

नाम

सरकारी मोहर

(रवीन्द्र सक्सेना )

मुख्य वन संरक्षक

भोपाल वृत्त भोपाल

10.1.22

Scanned by CamScanner

# कार्यालय वन वृत्त भोपाल

खेल भवन 74बंगला, भोपाल दूरभाष 2674296 कार्या. 2674345

क्रमांक/मा.चि./ 61 भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2022

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
(भू–प्रबंध)
म0प्र0 भोपाल

विषयः– विदिशा जिले के विकास खंड बासौदा के **ग्राम कोहना में** जल मिशन योजना अंतर्गत पेय जल प्रदाय हेतु पाईप लाईन निर्माण बावत् 0.020 हेक्टर वनभूमि, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग विदिशा को उपयोग पर देने बावत्।
(ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/147244/2021)

संदर्भः– वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल विदिशा का पत्र क्रमांक/माचि/2300 दिनांक 30/12/2021

–––0–––

विषयान्तर्गत वनमंडलाधिकारी,सामान्य वनमंडल विदिशा ने संदर्भित पत्र द्वारा जिला विदिशा, विकासखंड बासौदा के **ग्राम कोहना में** जल मिशन योजना अंतर्गत पेय जल प्रदाय हेतु मार्ग के किनारे किनारे (ROW) पाईप लाईन बिछाने हेतु परिक्षेत्र बासौदा के कक्ष क्रमांक पी 148 की 0.020 हेक्टर वनभूमि, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग विदिशा को उपयोग पर देने लिये, वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति देने बावत्, प्रस्ताव **ऑन लाईन एवं हार्ड प्रति में, अनुशंसा सहित इस कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।**

उल्लेखनीय हैं कि मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ/5/18/ 2002/10–3 दि. 18/11/04 एवं एफ–5/18/2002/10–3 दि. 14/12/05 एवं एफ 5/18/2002/10–3 दि.01/07/09 तथा आपके पत्र क्रमांक/एफ–11/2015/2637 दि. 28/10/2015 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत **राईट ऑफ वे के तहत अभयारण्य के बाहर स्थित वनक्षेत्र में बिना वृक्षों की कटाई के प्रस्तावों में स्वीकृति के अधिकार, क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारियों को प्रत्यायोजित किये गये हैं** एवं **आपके पत्र क्र एफ–11/2017/10–11/2586 दि. 01/09/17 से प्राप्त निर्देशानुसार उक्त स्वीकृति जारी करने के पूर्व संबंधित मु0व0सं0 (क्षेत्रीय) का अनुमोदन आवश्यक हैं।**

परन्तु **आपके पत्र क्र एफ–5/2021/10–11/4111 दि. 09/12/21 से प्राप्त निर्देशानुसार प्रकरण में स्वीकृति राज्य शासन द्वारा दी जाना हैं।** अतः वनमंडलाधिकारी सा0 वनमंडल विदिशा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, 2 प्रति में **सहमति सहित** अवलोकनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु सादर संलग्न संप्रेषित हैं।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(रविन्द्र सक्सेना)
मुख्य वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

पृ0क्रमांक/मा.चि./ 62 भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2022

प्रतिलिपिः– वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल विदिशा की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

2. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, मेकेनिकल डिवीजन, अरविंद विहार, लहारपुर डेम के पास बाग मुगांलिया भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

मुख्य वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

.01.2022

Scanned by CamScanner